भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1990
दिनांक 17 दिसंबर, 2025 / 26 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा

1990 श्री देरेक ओब्राईनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के भारत में अपराध 2023 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराधों में कोलकाता में सबसे कम 6 मामले दर्ज किए गए जबकि दिल्ली में 1,361 और मुंबई में 518 मामले दर्ज किए गए हैं;
(ख) यदि हाँ, तो दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध इतने अधिक आपराधिक मामलों के क्या कारण हैं;
(ग) वर्ष 2021-2025 के लिए औसत जाँच दिन, न्यायालयों में लंबित मामलों और दोषसिद्धि दर का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने उच्च-भार वाले महानगरों में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन और पीड़ित सहायता केंद्र शुरू करने की कोई योजना बनाई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे सूचित किए गए अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हें अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2023 की है। वर्ष 2021-2023 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ हुए अपराधों के तहत मेगा सिटी-वार दर्ज मामलों (सीआर), विचारण पूर्ण हो चुके मामलों (सीटीसी), दोषसिद्ध मामलों (सीओएन), दोषसिद्धि दर (सीवीआर) और विचारण हेतु लंबित मामलों (सीपीटी) का ब्योरा अनुलग्नक में दिया गया है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, वरिष्ठ नागरिकों सहित नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है और वे कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामलों सहित अन्य मामलों की जांच और अभियोजन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का होता है।

हालांकि, भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम और इन पर नियंत्रण को अत्यधिक महत्व देती है तथा गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एडवाइजरी जारी की हैं, जो इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

14वें वित्त आयोग ने 2015-2020 की अवधि के दौरान विशिष्ट श्रेणियों के मामलों जिसमे जघन्य अपराध एवं दीवानी मामलें जो कि महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, टर्मिनल बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों से संबंधित हो और पांच साल से अधिक समय से लंबित संपत्ति से संबंधित मामलों के शीघ्र परीक्षण के लिए 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) की स्थापना की सिफारिश की थी। वित्त आयोग ने राज्य सरकारों को इस उद्देश्य के लिए कर हस्तांतरण में वृद्धि के माध्यम से उपलब्ध बढ़े हुए राजकोषीय संसाधन का उपयोग करने की सलाह दी थी। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से एफटीसी की स्थापना के लिए आवश्यक धन आवंटित करने के लिए राज्य सरकारों से भी बार-बार आग्रह किया है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31.10.2025 तक 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 866 एफटीसी कार्य कर रहे हैं।

(घ) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन: एल्डरलाइन (14567) नामक एक समर्पित राष्ट्रीय स्तर की सुविधा का संचालन कर रहा है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सहायता से संबंधित अधिनियमों, केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाना तथा वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए देश भर में एक मंच प्रदान करना है। एल्डरलाइन, वर्तमान में आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यात्मक है।

*****

राज्य सभा अता. प्र. सं. 1990, दिनांक 17.12.2025

अनुलग्नक

वर्ष 2021-2023 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ हुए अपराधों के तहत मेगा सिटी-वार दर्ज मामले (सीआर), विचारण पूर्ण हो चुके मामले (सीटीसी), दोषसिद्ध मामले (सीओएन), दोषसिद्धि दर (सीवीआर) और विचारण हेतु लंबित मामले (सीपीटी)

क्र. सं.	19 महानगरीय शहर	2021					2022					2023				
		सीआर	सीटीसी	सीओएन	सीवीआर	सीपीटी	सीआर	सीटीसी	सीओएन	सीवीआर	सीपीटी	सीआर	सीटीसी	सीओएन	सीवीआर	सीपीटी
1	अहमदाबाद	244	7	0	0.0	2385	238	16	0	0.0	2569	184	10	0	0.0	2675
2	बेंगलुरु	237	3	0	0.0	830	458	0	0	-	1023	649	10	1	10.0	1325
3	चेन्नई	423	11	8	72.7	330	391	11	8	72.7	305	399	55	20	36.4	361
4	कोयंबटूर	45	19	5	26.3	199	6	0	0	-	203	24	40	12	30.0	228
5	दिल्ली	1166	35	4	11.4	1842	1313	60	13	21.7	2147	1361	228	111	48.7	2335
6	गाजियाबाद	0	0	0	-	8	0	0	0	-	8	0	0	0	-	8
7	हैदराबाद	314	113	17	15.0	60	331	99	12	12.1	72	292	85	9	10.6	102
8	इंदौर	124	23	8	34.8	431	207	37	17	45.9	540	273	38	13	34.2	705
9	जयपुर	123	0	0	-	176	83	1	0	0.0	203	185	15	10	66.7	238
10	कानपुर	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0
11	कोच्चि	28	0	0	-	121	74	0	0	-	167	126	8	1	12.5	238
12	कोलकाता	2	0	0	-	147	2	0	0	-	149	6	89	0	0.0	66
13	कोझिकोड	53	2	0	0.0	102	52	4	1	25.0	148	93	8	0	0.0	203
14	लखनऊ	52	0	0	-	143	0	0	0	-	143	0	0	0	-	143
15	मुंबई	987	9	4	44.4	2255	572	98	36	36.7	2567	518	15	0	0.0	2755
16	नागपुर	250	11	0	0.0	658	167	9	0	0.0	746	231	9	0	0.0	830
17	पटना	0	0	0	-	8	0	0	0	-	8	0	0	0	-	8
18	पुणे	150	0	0	-	755	69	0	0	-	804	57	0	0	-	825
19	सूरत	66	0	0	-	398	33	0	0	-	430	14	0	0	-	438
	कुल शहर	**4264**	**233**	**46**	**19.7**	**10848**	**3996**	**335**	**87**	**26.0**	**12232**	**4412**	**610**	**177**	**29.0**	**13483**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया

******